राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

<u>एकलपीठ सिविल द्वितीय अपील संख्या–98/2009</u>

राम बाई व अन्य
–: बनाम :–
रामचरण व अन्य

आदेश दिनांकः– **04–09–2017**

<u>माननीय न्यायाधिपति श्री प्रकाश गुप्ता</u>

श्री राजकमल गौड़, अधिवक्ता अपीलार्थीगण ।

यह प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 व 9 सी.पी.सी. अपीलार्थी संख्या–4 महेश कुमार जिसका देहान्त अपील के दौरान दिनांक 20.06.2016 को होना बताया गया है, के विधिक प्रतिनिधिगण जिनका उल्लेख प्रार्थना पत्र की चरण संख्या–1 में है, को अभिलेख पर लेने के संबंध में प्रस्तुत किया गया है । प्रार्थना पत्र निश्चित अवधि में प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके संबंध में विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत किया गया है।

धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व कारणों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 व 9 सी.पी.सी. प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है।

प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 व 9 सी.पी.सी. में अंकित तथ्यों व कारणों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मृतक अपीलार्थी संख्या–4 महेश कुमार के विधिक प्रतिनिधिगण को अभिलेख पर लिया जाता है एवं उपशमन यदि कोई हो तो उसे अपास्त किया जाता है ।

संशोधित वाद शीर्षक प्रस्तुत किया जा चुका है ,जिसे भी अभिलेख पर लिया जाता है ।

(न्या0 प्रकाश गुप्ता)

ऋषिकेश सोनी/24